बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

संख्या–8 / मु०4–21 / 2025..... / माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद संख्या 6282 / 2025 राजमणी महतो एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 10.02.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में यह आदेश पारित किया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"Having considered the submissions advanced by the learned Advocate for the respective parties and taking note of the fact that in pursuant to the letter contained in Memo No. 209 dated 23.03.2022, the relevant records have been called for from all the concerned District Education Officers for extending the benefit of ACP/MACP, besides the fact that the L.P.A. preferred by the State authority against the order dated 04.10.2018 passed in C.W.J.C. No. 20552 of 2011 is already dismissed, this Court direct the Director, Primary Education, Government of Bihar to take a final decision in the matter with respect to grant of ACP/MACP in favour of the petitioners preferably within a period of eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

8. In case, the claim of the petitioners finds favour, necessary consequential monetary benefit must be accorded to them.

9. The writ petition stands disposed of".

2. माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में मामले की समीक्षा से विदित होता है कि यह मामला वादीगण के तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन के लाभ से संबंधित है। मामले में वादीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेज, कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस संदर्भ में निर्गत संकल्प एवं परिपत्रों की समीक्षा की गयी।

3. सभी वादियों की नियुक्ति निम्न अवर शिक्षा सेवा संवर्ग में राजकीय बुनियादी विद्यालय के सहायक शिक्षक के रूप में मैट्रिक प्रशिक्षित के पद पर हुई।

4. राजकीय बुनियादी विद्यालयों में सहायक शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों से होती है। मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों से आई.ए. प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों को योग्यता एवं वरीयता के आधार पर प्रोन्नति दी जाती है।

5. ए०सी०पी० नियमावली, 2003 के नियम (3) के कंडिका (1) में प्रावधानित है कि राज्य सरकार के ग्रुप 'बी' 'सी' एवं 'डी' के वैसे नियमित कर्मियों को जिन्हें अपनी वृति के दौरान किसी वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं मिला हो, 12 वर्षों की सेवा पूरी होने पर प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जायेगा।

6. राजकीय बुनियादी विद्यालयों के सहायक शिक्षकों की सेवा के सम्वर्गीकरण, नियुक्ति, प्रोन्नति एवं स्थानांतरण नियमावली 1975 के भाग 03 नियम 05 (1) मे प्रावधान है कि राजकीय बुनियादी विद्यालय के सहायक शिक्षकों के सम्वर्ग में सीधी नियुक्ति केवल मैट्रिक प्रशिक्षित पदों

पर ही होगी एवं (2) में प्रावधान है कि आई०ए० प्रशिक्षित के पद मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान के सहायक शिक्षकों से वरीयता एवं दक्षता के आधार पर आई०ए० प्रशिक्षित एवं ऊपर की योग्यता के शिक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। प्रवर कोटि के पद भी वेतनमान विशेष के सहायक शिक्षकों की वरीयता एवं दक्षता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

7. ए०सी०पी० नियमावली 2003 के नियम 03 (2) में प्रावधान किया गया है कि वित्तीय उन्नयन, संबंधित सरकारी सेवक को उसके संवर्ग के लिए विहित विद्यमान उत्क्रम के वेतनमानों में मिलेगा और इस प्रयोजनार्थ वित्त विभाग द्वारा विभिन्न पदो के लिए मंजूर वेतनमान ही सुसंगत होंगे। जहाँ प्रोन्नति का उत्क्रम भर्ती/सेवा नियमावली में परिभाषित न हो या प्रोन्नति के उत्क्रम में दो नियमित प्रोन्नति से कम हो वहाँ इस नियमावली की अनुसूची–1 के अनुसार उच्चतर वेतनमानों में ए.सी.पी. योजना के अधीन दो वित्तीय उन्नयन दिया जायेगा।

8. वादीगण से संबंधित अभिलेखों का सम्यक् समीक्षा किया गया तथा उनके दावों पर विचार किया गया जो निम्नवत् है :–

(i) वादी संख्या 01– श्री राजमणि महतो, सेवानिवृत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कदवा, कटिहार से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से विदित होता है कि उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 16.10.1990 को हुई है। दिनांक 01.01.1994 को उन्हें आई.ए. प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान में प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। उसके पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः दिनांक 16.10.2002 एवं 16.10.2010 को दिया गया। वादी को अवर शिक्षा सेवा में दिनांक 10.09.2012 को प्रोन्नति प्राप्त है। इस प्रकार उन्हें दो प्रोन्नति और दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है। इसलिए उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना 2010 के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं होता है।

(ii) वादी संख्या 02– श्री सरोज कुमार सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चिरैयाँ, पूर्वी चम्पारण से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से विदित होता है कि उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 30.03.1991 को हुई है। दिनांक 18.01.1993 को उन्हें आई.ए. प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान में प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। उसके पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः दिनांक 30.03.2003 एवं 30.03.2011 को दिया गया। वादी को अवर शिक्षा सेवा में दिनांक 29.01.2016 को प्रोन्नति प्राप्त है। इस प्रकार उन्हें दो प्रोन्नति और दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है। इसलिए उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना 2010 के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं होता है।

(iii) वादी संख्या 03– श्री रमेश चन्द्र रमण, सेवानिवृत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, धैलाढ़, मधेपुरा से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से विदित होता है कि उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 08.02.1991 को हुई है। दिनांक 11.12.1996 को उन्हें आई.ए. प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान में प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। उसके पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः दिनांक 08.02.2003 एवं 08.02.2011 को दिया गया। वादी को अवर शिक्षा सेवा में दिनांक 17.07.2012 को प्रोन्नति प्राप्त है। इस प्रकार उन्हें दो प्रोन्नति

और दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है। इसलिए उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना 2010 के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं होता है।

(iv) वादी संख्या 04– श्री महेश कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, खैरा, जमुई से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से विदित होता है कि उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 27.03.1991 को हुई है। दिनांक 18.01.1993 को उन्हें आई. ए. प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान में प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। उसके पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः दिनांक 27.03.2003 एवं 27.03.2011 को दिया गया। वादी को अवर शिक्षा सेवा में दिनांक 08.02.2016 को प्रोन्नति प्राप्त है। इस प्रकार उन्हें दो प्रोन्नति और दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है। इसलिए उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना 2010 के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं होता है।

(v) वादी संख्या 05– श्री राम प्रसाद सिंह यादव, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मरौना, सुपौल से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से विदित होता है कि उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 04.04.1991 को हुई है। दिनांक 18.01. 1993 को उन्हें आई.ए. प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान में प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। उसके पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः दिनांक 04.04.2003 एवं 04.04.2011 को दिया गया। वादी को अवर शिक्षा सेवा में दिनांक 29.01.2016 को प्रोन्नति प्राप्त है। इस प्रकार उन्हें दो प्रोन्नति और दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है। इसलिए उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना 2010 के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं होता है।

(vi) वादी संख्या 06– मो० इसरार अहमद, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मधवापुर, मधुबनी से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से विदित होता है कि उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 06.04.1991 को हुई है। दिनांक 27.02.1999 को उन्हें आई. ए. प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान में प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। उसके पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः दिनांक 06.04.2003 एवं 06.04.2011 को दिया गया। वादी को अवर शिक्षा सेवा में दिनांक 14.07.2016 को प्रोन्नति प्राप्त है। इस प्रकार उन्हें दो प्रोन्नति और दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है। इसलिए उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना 2010 के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं होता है।

(vii) वादी संख्या 07– डॉ० यदुवंश यादव, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कुटुम्बा, औरंगाबाद से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से विदित होता है कि उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 08.02.1991 को हुई है। दिनांक 01.12.1996 को उन्हें आई.ए. प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान में प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। उसके पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः दिनांक 08.02.2003 एवं 08.02.2011 को दिया गया। वादी को अवर शिक्षा सेवा में दिनांक 01.08.2012 को प्रोन्नति प्राप्त है। इस प्रकार उन्हें दो प्रोन्नति और दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है। इसलिए उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना 2010 के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं होता है।

(viii) वादी संख्या 08– श्री कुमार गुणानन्द सिंह, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कुमारखण्ड, मधेपुरा से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से विदित होता है कि उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 09.02.1991 को हुई है। दिनांक 01.12.1996 से कनीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति प्राप्त है। उसके पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः दिनांक 09.02.2003 एवं 09.02.2011 को दिया गया। वादी को अवर शिक्षा सेवा में दिनांक 08.02.2016 को प्रोन्नति प्राप्त है। इस प्रकार उन्हें दो प्रोन्नति और दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है। इसलिए उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना 2010 के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं होता है।

(ix) वादी संख्या 09– श्री हरि शंकर झा, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, राजकीय बुनियादी विद्यालय, बड़कागाँव, सिवान से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से विदित होता है कि उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 16.02.1990 को हुई है। दिनांक 01.04.1994 को उन्हें आई.ए. प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान में प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। उसके पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः दिनांक 16.02.2002 एवं 16.02.2010 को दिया गया। वादी को अवर शिक्षा सेवा में दिनांक 18.07.2012 को प्रोन्नति प्राप्त है। इस प्रकार उन्हें दो प्रोन्नति और दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है। इसलिए उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना 2010 के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं होता है।

(x) वादी संख्या 10– श्री ओम प्रकाश यादव, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विजयपुर, गोपालगंज से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से विदित होता है कि उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 01.04.1991 को हुई है। उसके पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः दिनांक 01.04.2003 एवं 01.04.2011 को दिया गया। वादी को अवर शिक्षा सेवा में दिनांक 27.01.2016 को प्रोन्नति प्राप्त है। इस प्रकार उन्हें एक प्रोन्नति और दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है। इसलिए उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना 2010 के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं होता है।

(xi) वादी संख्या 11– श्री अखिलेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से विदित होता है कि उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 27.03.1991 को हुई है। दिनांक 18.01.1993 को उन्हें आई.ए. प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान में प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। उसके पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः दिनांक 27.03.2003 एवं 27.03.2011 को दिया गया। वादी को अवर शिक्षा सेवा में दिनांक 09.02.2016 को प्रोन्नति प्राप्त है। इस प्रकार उन्हें दो प्रोन्नति और दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है। इसलिए उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना 2010 के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं होता है।

(xii) वादी संख्या 12– श्री कृष्ण कुमार, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिरौल, दरभंगा से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से विदित होता है कि उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 17.02.1990 को हुई है। दिनांक 01.04.1994 को उन्हें आई.ए. प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान में प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। उसके पश्चात्

दो वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः दिनांक 01.08.2003 एवं 01.08.2011 को दिया गया। वादी को अवर शिक्षा सेवा में दिनांक 01.08.2012 को प्रोन्नति प्राप्त है। इस प्रकार उन्हें दो प्रोन्नति और दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है। इसलिए उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना 2010 के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं होता है।

(xiii) वादी संख्या 13– श्री विनोद कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बैरिया, प० चम्पारण से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से विदित होता है कि उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 16.10.1990 को हुई है। दिनांक 01.01.1994 को उन्हें आई.ए. प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान में प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। उसके पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः दिनांक 16.10.2002 एवं 16.10.2010 को दिया गया। वादी को अवर शिक्षा सेवा में दिनांक 16.07.2012 को प्रोन्नति प्राप्त है। इस प्रकार उन्हें दो प्रोन्नति और दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है। इसलिए उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना 2010 के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं होता है।

(xiv) वादी संख्या 14– श्री बिन्दा महतो, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, केसरिया, पूर्वी चम्पारण से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से विदित होता है कि उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 16.10.1990 को हुई है। दिनांक 01.01.1994 को उन्हें आई.ए. प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान में प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। उसके पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः दिनांक 16.10.2002 एवं 16.10.2010 को दिया गया। वादी को अवर शिक्षा सेवा में दिनांक 17.07.2012 को प्रोन्नति प्राप्त है। इस प्रकार उन्हें दो प्रोन्नति और दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है। इसलिए उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना 2010 के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं होता है।

(xv) वादी संख्या 15– श्री सुरेन्द्र कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, राजगीर, नालंदा से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से विदित होता है कि उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 30.03.1991 को हुई है। दिनांक 18.01.1993 को उन्हें आई.ए. प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान में प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। उसके पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः दिनांक 30.03.2003 एवं 30.03.2011 को दिया गया। वादी को अवर शिक्षा सेवा में दिनांक 08.02.2016 को प्रोन्नति प्राप्त है। इस प्रकार उन्हें दो प्रोन्नति और दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है। इसलिए उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना 2010 के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं होता है।

(xvi) वादी संख्या 16– श्री नागेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उजियारपुर, समस्तीपुर से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से विदित होता है कि उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 28.03.1991 को हुई है। दिनांक 18.01.1993 को उन्हें आई.ए. प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान में प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। उसके पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः दिनांक 28.03.2003 एवं 28.03.2011 को दिया गया। वादी को अवर शिक्षा सेवा में दिनांक 08.02.2016 को प्रोन्नति प्राप्त है। इस प्रकार

उन्हें दो प्रोन्नति और दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है। इसलिए उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना 2010 के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं होता है।

9. उपर्युक्त के विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादीगण की प्रथम नियुक्ति राजकीय बुनियादी विद्यालय के सहायक शिक्षक (मैट्रिक प्रशिक्षित) के पद पर हुआ। ए.सी.पी. /एम०ए०सी०पी० नियमावली के तहत पन्द्रह वादीगण को दो प्रोन्नति एवं दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है तथा शेष एक वादी को एक प्रोन्नति और दो वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त है।

अतः वर्णित स्थिति में याचिका के सभी वादीगण को और कोई अतिरक्त वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं होता है। इसके साथ ही इस मामले को निस्तारित किया जाता है।

ह०/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
पटना, दिनांक 26.05.2026

ज्ञापांक 8/मु०4–21/2025...715

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी /जिला शिक्षा पदाधिकारी /सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/संबंधित सभी वादीगण एवं आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा